

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

| उस जिले, उप<br>ग्राम का नाम, जिसमें<br>संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा खी | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम<br>पर न हो तो<br>बतलाइये कि वह<br>जिसके नाम पर<br>धारित है और उसका<br>शासकीय कर्मचारी से<br>क्या संबंध है | उसी किस प्रकार<br>आव<br>संपत्ति से संबंधित<br>अभियुक्ति |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| संपत्ति स्थित हो                                        | संपत्ति का नाम तथा खी | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम<br>पर न हो तो<br>बतलाइये कि वह<br>जिसके नाम पर<br>धारित है और उसका<br>शासकीय कर्मचारी से<br>क्या संबंध है | उसी किस प्रकार<br>आव<br>संपत्ति से संबंधित<br>अभियुक्ति |
| (1)                                                     | पूरा तथा अन्य पद      | (2)           | (3)                                                                                                                        | (4)                                                     |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |
| निर्दिष्ट                                               | निर्दिष्ट             | निर्दिष्ट     | निर्दिष्ट                                                                                                                  | निर्दिष्ट                                               |

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
उसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित है  
टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुष्य) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सेवक से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आवा उसी विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़ें या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के खीरे हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :